भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1367
(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

असम में कृषि और वन-आधारित उद्योग

1367. श्री अमरसिंग टिस्सोः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस सुधारों के तहत कृषि-आधारित और वन-आधारित उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना है;
(ख) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों के लिए विचाराधीन प्रोत्साहन या सुविधा उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने इन पर्वतीय जिलों में उद्यमियों द्वारा पंजीकरण या अनुपालन सहायता लेने में आने वाली चुनौतियों का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): 1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामत: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों सहित देश भर में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम के माध्यम से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

2. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी सभी स्कीमों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन

पोर्टल अर्थात् पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएसएफपीआई विकसित किए हैं । मॉड्यूल सभी उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय के आधार पर आवेदन दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने और इसकी स्थिति पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान करता है। मंत्रालय ने ऑनलाइन स्कीम प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अनुदान जारी करने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सरल, आसान और पारदर्शी बना दिया है। ईमेल आधारित प्रश्नों और उत्तर सहित एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया गया है।

3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय निजी क्षेत्र के लिए व्यवसाय करना सुगम बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है और इस तरह असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कृषि आधारित और वन-आधारित उद्योगों सहित देश भर में और उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(i) उत्पादक कंपनियों से संबंधित उपबंधों (कंपनी अधिनियम, 1956 का पूर्व भाग IXक) को कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किया गया था ताकि कृषि, कृषि आधारित और वन आधारित कार्यकलापों में संबद्ध होने के इच्छुक लोगों द्वारा व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जा सके।

(ii) अपराधों के गैर-अपराधीकरण और बेहतर अनुपालन आवश्यकताओं के माध्यम से विशेष रूप से छोटी कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप और उत्पादक कंपनियों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता की सुविधा के लिए 2019 और 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन किए गए थे।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 446ख, जिसे पहली बार 2018 में जोड़ा गया था, को 2021 में संशोधित किया गया था, ताकि एकल व्यक्ति कंपनियों, छोटी कंपनियों, स्टार्टअप और उत्पादक कंपनियों के लिए कम जुर्माना लगाया जा सके।

4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने देश भर में और असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कृषि-आधारित और वन-आधारित उद्योगों सहित उद्योगों में कारपोरेट संस्थाओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और क्षमता विकास का समर्थन करने के लिए कई डिजिटल-प्रथम पहलों को लागू किया है, जिसमें शामिल हैं: -

(i) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना जनवरी, 2016 में सभी स्टेकहोल्डरों को व्यवसाय करने में अधिक सुगमता (ईओडीबी) प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और इसके परिणामस्वरूप नाम उपलब्धता और निगमन से संबंधित ई-फॉर्म की तेजी से प्रक्रिया हुई है।

(ii) स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) फॉर्म प्रक्रियात्मक विलंब और कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करके व्यवसाय करने में सुगमता को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रपत्रों को भुगतान के तुरंत बाद स्वीकृत या पंजीकृत किया जाता है, जिससे अनुपालन प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है।

(iii) हैंडहोल्डिंग स्टेकहोल्डरों के लिए नियमित रूप से वेबिनार और प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। रिटर्न फ़ाइल करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए वीडियो ट्यूटोरियल, चैटबॉट, उपयोगकर्ता मैनुअल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पोर्टल पर उपलब्ध हैं।